म.प्र.शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
तथा
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक/6714/MGNREGS-MP/NR-3/2015, भोपाल, दिनांक 27/06/2015

प्रति,

संभागायुक्त, समस्त संभाग
कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति.जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र.
जिला –समस्त (म.प्र.)

विषयः– महात्मा गांधी नरेगा व उद्यानिकी विभाग के तकनीकी अभिसरण से नवीन बागानों की स्थापना क्षेत्र विस्तार कार्य की कार्ययोजना की आयोजना के संबंध मे निर्देश।

भारत सरकार से प्राप्त निर्देश क. F.No. 9-5/2015/GIM/MGNREGS दिनांक 03.03.2015 के द्वारा **ग्रीन इंडिया मिशन** के तहत मनरेगा एवं जी. आई. एम. कनवर्जेन्स गाइडलाइन जारी की गयी है, जिसके अंतर्गत मनरेगा में पात्र हितग्राहियों की आजीविका को उद्यानिकी, रेशम, वृक्षारोपण एवं फॉर्म फोरेस्टी से जोड़ने हेतु निर्देश प्राप्त हुये है, जिसके तहत पूरे देश में आने वाले 10 वर्षों में 50 लाख हेक्टेयर में वृक्षारोपण करके 30 लाख मनरेगा पात्र परिवारों को जोड़ने का भारत सरकार द्वारा लक्ष्य रखा गया है।

उद्यानिकी विभाग से अभिसरण हेतु भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा महात्मॉ गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी अधिनियम 2005 अंर्तगत प्रदाय दिशा निर्देश 2013 से भी निर्देश प्राप्त हुये है।

उद्यानिकी मिशन अंतर्गत बागवानी प्रभाग कृषि एवं सहकारिता विभाग कृषि मंत्रालय कृषि भवन नई दिल्ली द्वारा (होर्टीकल्चर मिशन) एकीकृत बागवानी विकास मिशन संचालन संबंधी दिशा निर्देश अप्रेल 2014 में भी नये बागानों की स्थापना में क्षेत्र विस्तार के इस कार्य को बिन्दु कमांक 7.18 अनुसार महात्मॉ गॉधी राष्ट्रीय रोजगार गांरटी योजना से जोड़े जाने हेतु निर्देश प्राप्त हुये है।

विषय के संबंध में प्राप्त गाईडलाईन के आधार पर महात्मा गांधी नरेगा व उद्यान विभाग के तकनीकी अभिसरण से नवीन बागान की स्थापना क्षेत्र विस्तार कार्य की कार्ययोजना की आयोजना के संबंध मे उद्यानिकी वृक्षारोपण कार्य की कार्ययोजना की आयोजना तैयार की गई है, जो निम्नानुसार है।

1. प्रस्तावनाः—

मध्यप्रदेश के उद्यानिकी व आर्थिक क्षेत्र में पिछड़े संभाग चंबल संभाग, ग्वालियर संभाग, बुन्देलखंड क्षेत्र(सागर संभाग), बघेलखंड क्षेत्र(रीवा संभाग), महाकोशल क्षेत्र(जबलपुर संभाग), में उद्यानिकी फल उत्पादन के क्षेत्र में पर्याप्त वृद्धि नही हो रही है, कारण पात्र हितग्राही आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण कृषक अंश लागत लगाने में असमर्थ होते है, जिस कारण उनकी आय में वृद्धि नही हो पा रही है। अतः नवीन बागानों की स्थापना क्षेत्र विस्तार में **मनरेगा योजना से अभिसरण करते हुये सभी प्रकार के प्राक्कलन लागत पर सामग्री मद में कृषक अंश 25 प्रतिशत निर्धारित करते हुये कार्ययोजना का निर्माण किया गया है। शेष राशि का अभिसरण मनरेगा मद से किया गया है, जिससे उद्यानिकी क्षेत्र में वृद्धि, पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन के साथ–साथ ग्लोबल वार्मिंग को कम कर मनरेगा में पात्र हितग्राहियों की अजीविका सुनिश्चित होगी। तत् संबंध में उद्यानिकी विभाग व मनरेगा अभिसरण से कार्ययोजना प्रस्तावित है।**

2. प्रस्तावित कार्ययोजना के अन्य उद्देश्यः —

- मनरेगा में पात्र हितग्राहियों (जॉबकार्डधारियों) को उनकी मांग अनुसार 100 दिवस का रोजगार (राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत) प्रदाय करने के साथ उनके निजी स्वामित्व वाली भूमि पर स्व– रोजगार के अवसर प्रदान करना।
- उद्यानिकी फसलों के क्षेत्रफल गुणवत्ता, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्वि कर मध्यप्रदेश निर्माण के घोषित संकल्प बिन्दु क 21 की पूर्ति करना।
- पात्र हितग्राहियों के आर्थिक स्तर में वृद्वि कर गरीबी रेखा की सूची से उपर उठाना।
- युवा व शिक्षित बेरोजगारों को स्व– रोजगार के साधन उपलब्ध कराना।
- फलदार पौधों का प्रत्यारोपण कर पात्र हितग्राहियों को स्थाई स्रोत के साधन उपलब्ध कराना।
- खेतीहर मजदूरों को स्व– रोजगार प्रदाय कर ग्रामों से शहर की ओर पलायन करने से रोकना।
- भू– जल संरक्षण व संवर्धन करने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के साथ ग्लोबल वार्मिंग को कम करना।
- क्लस्टर में कार्य कर ग्रामों को उद्यानिकी ग्रामों(Horticulture Village) के रूप में विकसित करना।
- स्थानीय स्तर पर उद्यानिकी उत्पाद की आवश्यकता की सरल व सस्ते दरों पर पूर्ति करना।
- कुपोषण से बचाव के प्रयास करना।
- उद्यानिकी प्रोसेसिंग व प्रसंस्करण इकाई लगाने हेतु प्रेरित एवं उद्योगपतियों या अनुबंधकर्ताओं को कच्चे माल की पूर्ति करना।

3. **कार्यक्षेत्रः**— योजना का कार्यक्षेत्र संपूर्ण मध्यप्रदेश होगा। प्राथमिकता ग्वालियर, चंबल, सागर, रीवा, शहडोल, जबलपुर संभाग को होगी, जिसमें प्राथमिकता के क्रम में वर्तमान में जहां– जहां भी उद्यानिकी संबंधी फसलें ली जा रही हैं उन्हीं ग्राम पंचायतों को क्लस्टर के रूप में चयनित कर प्राथमिकता के आधार पर (न्यूनतम् 10 हितग्राही एक ही ग्राम पंचायत के होने पर) योजना प्रारंभ की जा सकेगी। परंतु एक क्लस्टर(ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी का क्षेत्र) मे न्यूनतम 50 हितग्राही होना अनिवार्य होगा जो की 10 किमी परिधि के भीतर होगें।

4. **लक्ष्यों का निर्धारणः—** नये बागानों की स्थापना क्षेत्र विस्तार में प्रथम वर्ष(2015–16) होने के कारण जिले बार लक्ष्यों का निर्धारण कर 5000 हेक्टेयर भूमि पर मनरेगा–उद्यानिकी अभिसरण कार्ययोजना से किया जावेगा। जिलेवार लक्ष्यों का निर्धारण संचालक उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी भोपाल द्वारा निर्धारित किया जावेगा।

5. **हितग्राहियों का चयनः—** पात्र हितग्राही वही होगा, जिसके पास स्वयं की भू– स्वामित्व वाली न्यूनतम 0.4 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध, स्वयं का सिंचाई साधन उपलब्ध होगा, स्वयं की सुरक्षा व्यवस्था फेंसिग इत्यादि उपलब्ध होगी अर्थात् पात्र हितग्राही की यह जबावदारी होगी कि, लगाये जाने वाले उद्यानिकी फलोद्यान को वह स्वयं के साधन से सुरक्षा व्यवस्था व सिंचाई व्यवस्था करेगा, इसके साथ ही उसका जॉब कार्ड होना अनिवार्य होगा।

6. **पात्र हितग्राही का प्राथमिकता क्रमः—** मनरेगा अधिनियम के दृष्टिगत प्राथमिकता क्रम में निम्नानुसार पात्र हितग्राही होंगेः—
   - 6.1 अनुसूचित जाति परिवार
   - 6.2 अनुसूचित जनजाति परिवार
   - 6.3 आदिम जनजाति परिवार
   - 6.3 अधिसूचित अनुसूचित जनजाति परिवार
   - 6.4 अन्य गरीबी रेखा वाले परिवार
   - 6.5 ऐसे परिवार जिनके मुखिया विकलांग
   - 6.6 ऐसे परिवार जिनके मुखिया विधवा महिला
   - 6.7 भूमि सुधार के लाभार्थी परिवार
   - 6.8 इंदिरा आवास योजना के हितग्राही
   - 6.9 वन अधिकार अधिनियम 2006, (2 ऑफ 2007) अंतर्गत लाभान्वित हक प्रमाण–पत्र धारक।
   - 6.10 लघु व सीमान्त कृषक (कृषि श्रण माफी एवं राहत योजना 2008 में यथा परिभाषित)

7. **क्षेत्रफल की स्वीकृति एव रोपण समयः—** न्यूनतम 0.2 हेक्टेयर एवं अधिकतम 01 हेक्टेयर तक का क्षेत्रफल स्वीकृत किया जा सकेगा, पौधों का रोपण प्रमुखतः वर्षाकाल जून–अगस्त माह में किया जावेगा, साथ ही पर्याप्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध होने एवं पॉलीथिन बैग में पूर्णरूपेण शिफ्टेड पौधे होने पर हितग्राही एवं कियान्वयन एजेन्सी की सहमति उपरांत, सिंतम्बर–अक्टूबर एवं फरवरी–मार्च में भी पौधों का रोपण किया जावेगा।

8. **योजना का स्वरूपः—**

   8.1 **प्रजातियों का चयन व अनुदान सहायताः—** सभी प्रकार बहुवर्षीय स्थाई आय प्रदाय करने वाले फल, फूल, औषधि व सुगंधित बागानों को नवीन स्थापना हेतु शामिल किया गया है, इसके साथ ही शीघ्र आमदनी प्राप्त करने हेतु स्थाई पौधों के साथ अतंरवर्ती उद्यान के रूप में संकर केला व पपीता के पौधे योजना में शामिल किये जावेंगे, पपीता एवं केला स्थाई फल न होने के कारण पृथक से कार्य योजना में शामिल नही किया गया है।

9. **योजना कियान्वयन व लगाये गये पौधों की 90 प्रतिशत जीवितता सुनिश्चित करनाः—**

   9.1 **मनरेगा योजना में हितग्राही को मजदूरी भुगतान व सामग्री प्रदायः—** मनरेगा योजना में पौध रोपण उपरांत लगाये गये स्थायी फलदार पौधों का 90 प्रतिशत जीवितता होने व उसमें निदांई, गुड़ाई, सिंचाई व अन्य प्रबंधन कार्य करने पर ही डी.पी.आर. अनुसार प्रतिमाह एक

एकड़ की सीमा तक के हितग्राहियों को टॉस्क आधार पर ब्लॉक प्लांटेशन के रूप में, अधिकतम 280 पौधरोपण पर 5 रू प्रतिपोधा, प्रतिमाह एवं खेतों की मेढों पर प्लांटेशन के रूप में अधिकतम 200 पौधरोपण पर 7.5 रू प्रतिपौधा, प्रतिमाह भुगतान हितग्राहियों के खाते में किया जा सकेगा जिसमें (सामान्य/वन पट्टाधारी जॉबकार्ड धारक)100/150 दिवस से अधिक मजदूरी होने पर शेष राशि का भुगतान सेमीस्किल्ड के रूप में सामग्री मद अंतर्गत किया जा सकेगा।

फलोद्यान में रखरखाव कार्य में हितग्राही परिवार के वयस्क सदस्यों के अलावा अन्य श्रमिकों की आवश्यकता होने पर हितग्राही द्वारा कार्य की मॉग के पत्रक में उल्लेखित जॉबकार्ड धारी श्रमिकों को यथासंभव कार्य करने हेतु ई–मस्टर जारी किया जा सकेगा।

90 प्रतिशत से जीवितता कम होने पर आगामी माह का मजदूरी भुगतान रोक दिया जावेगा न ही कोई सामग्री प्रदाय की जावेगी, हितग्राही द्वारा योजना में प्रावधान अनुसार अथवा स्वयं के व्यय से गेप फिलिंग करने पर ही मजदूरी भुगतान व सामग्री प्रदाय होगी।

यदि हितग्राही के स्थायी फलदार पौधे 90 प्रतिशत जीवित है, लेकिन यदि हितग्राही उसमें निदाई, गुड़ाई, सिंचाई व अन्य प्रबंधन कार्य नही कर रहा है, पौधों की वृद्धि ठीक से नही हो रही है, पौधे अस्वस्थ हैं, ऐसी परिस्थितियों में उस अवधि में कार्य करने वाले हितग्राही/चयनित जॉबकार्ड धारी को चेतावनी देते हुये उक्त माह का कार्य ठीक से न करने पर आधा भुगतान 2.5 रूपये प्रति पौधे के हिसाब से दिया जावेगा, आगामी माह में चेतावनी के बाद भी यदि हितग्राही/चयनित जॉबकार्ड धारी द्वारा कार्य नही किया जाता है, तब पूर्णतः भुगतान रोक दिया जावेगा।

उपरोक्तानुसार हितग्राही/जॉबकार्डधारी को शर्तो के अनुरूप अपने दायित्वों को निर्वाहन करने पर मासिक रूप से पौधों की जीवितता के परिणामों के आधार पर कलमी पौध रोपण पर 3 वर्ष एवं बीजू पौध रोपण पर 5 वर्ष तक भुगतान निर्देशों के बिन्दु क्रमांक (10–C) के आधार पर निम्नानुसार भुगतान किया जा सकेगा :–

जीवित पौधों की प्रतिशत्ता	सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन	भुगतान	भुगतान अवधि
1	2	3	4
90: से अधिक	पूर्ण करने पर*	पूर्ण भुगतान	माह आधारित
75: से अधिक व 90: से कम	पूर्ण करने पर*	आधा भुगतान	
75: से कम होने की स्थिति में	पूर्ण करने पर*	कोई भुगतान नहीं	
90: से अधिक	अंशतः करने पर#	आधा भुगतान	माह आधारित
75: से अधिक व 90: से कम	अंशतः करने पर#	एक चौथाई भुगतान	
75: से कम होने की स्थिति	अंशतः करने पर#	कोई भगतान नहीं	
* सौंपे गये दायित्व से तात्पर्य पौध रोपण, निदांई– गुडाई, थाला निर्माण, सिंचाई इत्यादि समस्त प्रबंधन कार्य से है। # से आशय सौंप गये दायित्वों का निर्वहन न किये जाने से है।			

लगाये गये पौधे मृत होने पर हितग्राही द्वारा पुनः गेप फिलिंग न करने, जानबूझकर राशि का दुरूपयोग करने पर मध्यप्रदेश पंचायत राज्य अधिनियम में प्रावधान धारा 92 अनुसार हितग्राही से राशि वसूली की कार्यवाही की जावेगी।

प्रति एकड़(0.40 हेक्ट.)विभिन्न अंतर पर लगाये गये फलदार पौधों की 90 प्रतिशत जीवितता व लगातार प्रबंधन कार्य करने पर, प्रति पौधा प्रतिमाह किया जाने वाला भुगतान

क	प्रजाति का नाम	दूरी	कुल पौधे	प्रति पौधा भुगतान	प्रतिमाह भुगतान	माहों की संख्या	प्रदाय कुल भुगतान
1	नीबू	3x3	444	5.0	2220	34	75480
2	अनार टिशु	5x5	160	5.0	800	34	27200
3	नीबू	3x3	444	5.0	2220	34	75480
4	नीबू	3x3	444	5.0	2220	34	75480
5	संतरा	6x6	110	5.0	550	35	18700
6	अमरूद	6x6	110	5.0	550	10	18700
7	पपीता ताईवानी	2x2	1000	1.5	1500	10	15000
8	गुलाब बडिड	1x1	4000	1.0	4000	22	88000

9.2 प्रबंधन व मॉनीटरिंग हेतु उद्यानिकी/वृक्षारोपण कार्यों में ग्राम पंचायत में पूर्व से निर्मित मेटो की सहायता प्राप्त करनाः— वृक्षारोपण व उद्यानिकी कार्य क्लस्टर के रूप में लिया जाना चाहिये 50 हितग्राही अथवा जॉवकार्डधारी एक ही ग्राम पंचायत में कार्य करने की स्थिति में ग्राम पंचायत स्तर पर पूर्व से चयनित/निर्मित मेटों की सेवाएँ प्रबंधन व मॉनीटरिंग कार्य हेतु ली जानी चाहिये। उक्त मेट को एक ही दिन में 40 श्रमिकों के कार्य करने पर सेमीस्किल्ड के रूप में(शासन द्वारा स्वीकृत दर) 282 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किया जावेगा। 40 से कम मजदूर काम करने पर आनुपातिक भुगतान किया जावेगा। मेट का पौधों को जीवित रखने में मदद करना, मजदूरी भुगतान हेतु समय पर मस्टर इशु कराना उनका भुगतान सुनिश्चित करना, समय पर सामग्री उपलब्ध कराने में मदद करना, कियान्वयन एजेन्सी से सतत् संपर्क बनाये रखते हुये आने वाली किसी भी समस्या का तत्काल निदान करना होगा। पूर्व से नियुक्त मेट द्वारा दायित्यों का निर्वाहन सफलतापूर्वक न करने की स्थिति में उसे पृथक करते हुये, चयनित हितग्राहियों में से 8 वीं पास व्यक्ति को नवीन मेट के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा।

10. प्रस्तावित अभिसरण योजना में ग्राम पंचायत/रोजगार सहायक ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी के उत्तरदायित्व

10.1 ग्राम पंचायत का उत्तरदायित्वः— सर्वप्रथम उद्यानिकी विभाग द्वारा चयनित हितग्राहियों को ग्राम सभा में पारित करते हुये सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट में शामिल करने का उत्तरदायित्व ग्राम पंचायत का होगा।

10.2 रोजगार सहायक का उत्तरदायित्वः— ग्राम पंचायत में पदस्थ ग्राम रोजगार सहायक को मेट की अनुपस्थिति/नवीन मेट चयन न होने की स्थिति में, मेट (सर्विस प्रोवाईडर) की भॉति प्रशिक्षण इत्यादि प्रदाय कर दक्ष किया जावेगा एवं नियुक्त सर्विस प्रोवाईडर को पूर्ण रूपेण सहयोग का कार्य, मस्टर रोल भरना, एमआईएस कराना इत्यादि की जवाबदारी होगी। इसके साथ ही सर्विस प्रोवाइडर की अनुपस्थिति में उसके उत्तरदायित्वों का निर्वाहन किया जावेगा।

10.3 ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी के उत्तरदायित्वः— उस क्षेत्र में पदस्थ ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी की योजना कियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका होगी समस्त कार्य उन्ही की देख रेख में संपादित कराया जावेगा।

10.4 वरिष्ट उद्यान विस्तार अधिकारी के उत्तरदायित्वः—

जनपद क्षेत्र में संचालित योजनाओं का कियान्वयन अपनी देखरेख में ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी के माध्यम से संचालित कराना व आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन प्रदाय करना।

11. मूल्यांकन कर्ता अधिकारीः— कार्यों का मूल्यांकन अधिनस्थ फील्ड स्टॉफ ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी के द्वारा किया जावेगा, एवं एम.बी. का संधारण किया जावेगा, साथ ही एम.बी. में दर्ज अभिलेखों का सत्यापन वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी द्वारा किया जावेगा।
रोपण के तत्काल उपरांत व प्रत्येक 3 माहों में उद्यानिकी विभाग के ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी एवं मनरेगा में पदस्थ उपयंत्री के द्वारा संयुक्त रूप से मूल्यांकन किया जावेगा।

12. कार्य एजेंसी का निर्धारण एवं कार्यः— उप/सहायक संचालक उद्यान उद्यान विभाग कार्य एजेन्सी होंगे, कार्य एजेन्सी सहायक संचालक उद्यान उद्यानिकी विभाग को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के भांति से मजदूरी व सामग्री भुगतान के अधिकार प्रदाय किये जावेंगे एवं जिले में संचालित मनरेगा खाते से इलेक्ट्रानिक फंड मेनेजमेंट सिस्टम से राशि सीधे मजदूरों के खाते में व सामग्री प्रदाय कर्ता के खाते में राशि का स्थानांतरण किया जावेगा। कार्य एजेन्सी द्वारा स्वयं जॉबकार्ड धारियों की मांग अनुसार मेट/रोजगार सहायक के माध्यम से ई—मस्टर जारी किये जावेंगे, मूल्याकंन उपरांत ई—एम.बी. पर दर्ज करते हुये भुगतान किया जावेगा, पृथक से भी प्रत्येक हितग्राही वार रिर्काड का संधारण किया जावेगा।

13. **हितग्राहियों का चयनः—** जिले में पदस्थ उप/सहायक संचालक उद्यान, उद्यानिकी विभाग, अपने मार्गदर्शन में क्लस्टर के रूप में ग्रामीण उधान विस्तार अधिकारी, वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी उधान विभाग के माध्यम से ही हितग्राहियों का चयन करेंगे(लघु एवं सीमांत कृषकों का चयन होने की स्थिती में संबंधित पटवारी से आवश्यक रूप से प्रमाणीकरण प्राप्त किया जावेगा)

14. **डीपीआर का निर्माणः—** डीपीआर का निर्माण मनरेगा योजना में पदस्थ सहायक संचालक उद्यान उद्यान विभाग/मनरेगा/उद्यानिकी सहायक के संयुक्त हस्ताक्षर से तैयार किया जावेगा।

15. **तकनीकी स्वीकृति जारी किया जानाः—** उप/सहायक संचालक उद्यान विभाग द्वारा तकनीकी स्वीकृति जारी की जावेगी।

16. **प्रशासकीय स्वीकृति जारी किया जानाः—** अभिसरण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति जिला कार्यक्रम समन्वयक कलेक्टर द्वारा जारी की जावेगी, प्रशासकीय स्वीकृति जारी कराने की जबाबदारी जिला पंचायत में पदस्थ सहायक संचालक उद्यान मनरेगा एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत की होगी।

17. **कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जानाः—** तकनीकी स्वीकृति कर्ता अधिकारी उप/सहायक संचालक उद्यान विभाग को कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार होगा।

18. **पौधे एवं अन्य आदान सामग्री की व्यवस्थाः—**

18.1 मध्यप्रदेश भंडार क्रय नियमों एवं मनरेगा परिषद/उद्यान विभाग(लाईन विभाग) द्वारा समय—समय पर जारी निर्देशो का पालन करते हुये शासकीय/अर्द्धशासकीय/ सहकारी

संस्थाओं से गुणवत्तापूर्ण पौधे, व अन्य आदान सामग्री की व्यवस्था कार्य एजेन्सी, सहायक/उप संचालक उद्याान उद्यान विभाग की देखरेख में की जावेगी। यह अनिवार्यता ध्यान रखा जावेगा कि आवश्यक सामग्री हितग्राही को समय पर उपलब्ध करा दी जावे व समय पर ही मजदूरी भुगतान की जावे, जिसकी नियमित मॉनीटरिंग जिला पंचायत में पदस्थ सहायक संचालक उद्यान/उद्यानिकी सहायक/परियोजना अधिकारी मनेरगा द्वारा की जावेगी। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर तत्काल मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को लिखित में अवगत कराया जावेगा।

18.2 हितग्राही की सहमति होने की स्थिति में भारत सरकार के पत्र कमांक 11017/17/2008–NREGA(UN)(PART-II) दिनॉक 31.07.2014 के बिंदु कमांक 10 (C-II) के निर्देशों के अनुकम में पौधे एवं अन्य आदान सामग्री की व्यवस्था हितग्राही द्वारा स्वयं की जा सकती है। बिल प्रस्तुत करने पर मूल्यांकन व सत्यापन उपरांत राशि का भुगतान हितग्राही के बैंक एकाउन्ट में बेन्डर के रूप में किया जा सकता है। पौधे एवं अन्य सामग्री की गुणवता की जवाबदारी हितग्राही की स्वयं की होगी।

19. पौधों का चयन एवं व्यवस्थाः– पौधों व प्रजातियों का चयन हितग्राही की सहमति से कृषि जलवायु की उपयुक्तता के आधार पर अकिया जावेगा टिशु कल्चर अनार, केला व पपीता को छोड़कर जीवितता व प्रबंधन को देखते हुए 2.5 फीट से कम ऊॅचाई के पौधें नहीं लगाये जावेंगे। पपीता में परिवहन क्षमता, संधारण क्षमता, शत प्रतिशत फल देने वाली प्रजाति व बाजार की मांग अनुसार केवल ताईवानी पपीता 786 का ही रोपण किया जावेगा।

पौधों की गुणवत्ता सुनिश्चित हो अतः शत प्रतिशत(नीबू कागजी को छोड़कर) कलमी पौधों का रोपण किया जावेगा, गुणवत्ता पूर्ण पौधों के कय हेतु जिला स्तर पर शासकीय व राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन की निजी रोपणी में उपलब्ध पौधों का सत्यापन उप/सहायक संचालक उद्यान उद्यान विभाग एवं सहायक संचालक उद्यान मनरेगा द्वारा संयुक्त रूप से किया जावेगा, संयुक्त अनुशंसा उपरांत ही पौधों का कय किया जा सकेगा।

जिला स्तर पर पौधे उपलब्ध न होने की स्थिती में बाहर से पौधे कय करने हेतु एक राज्य स्तरीय पॉच सदस्यीय कमेटी संचालक उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी की अध्यक्षता में निर्मित की जावेगी जिसमें स्टेट नोडल अधिकारी(उपसंचालक कृषि/उद्यान) मनरेगा परिषद् भोपाल भी सदस्य होंगे, कमेटी अनुशंसा उपरांत ही चयनित रोपणी अथवा संस्था से पौधे कय किये जा सकेंगे।

20. योजना में हितग्राही को प्राप्त होने वाली आयः–

(योजना का आउटकम)

योजना के प्रावधान अनुसार विभिन्न प्रजातियों से अनुमानित आय प्रतिवर्ष प्रतिएकड़

प्रजाति का नाम	कुल पौधे	3–5 वर्ष से प्राप्त औसत उत्पादन किलो में प्रतिपौधा	प्राप्त कुल औसत उत्पादन क्वींटल में	भाव औसत प्रति क्वींटल	कुल आय रूपये वर्ष में	हितग्राही को प्रति माह के हिसाब से प्राप्त औसत आय	रिमार्क
आम	110	80–150	126	1000	126000	10500	प्राप्त आय में कमशः 20–25 वर्ष तक वृद्धि होगी जोकि अधिकतम 30–40 वर्षों तक हितग्राही को प्राप्त होती
ऑवला	110	60–80	77	600	46200	3850	
अनार टिशु	160	30–40	56	1500	84000	7000	
नीबू	444	25–30	119	800	95200	7933	
संतरा	110	80–100	99	1000	99000	8250	
मोसम्मी	110	80–100	99	1200	118800	9900	

अमरूद	110	60–80	77	800	61600	5133	रहेगी पपीता एवं केला 2–2.5 वर्ष में आय प्राप्त होगी
अमरूद	444	40–60	222	800	177600	14800	
पपीता ताईवानी	1000	50–60	550	500	275000	22916	
केला	1000	30–40	350	800	280000	23333	
गुलाब बडिड	4000	20–25 नग	88000 नग	1.5 रू प्रति नग	132000	11000	

21. कार्य का नरेगा सॉफ्ट में फोटो अपलोड करना:– योजना में हितग्राही का कार्य प्रारंभ होने के पूर्व का फोटो एवं फसल अवधि अंतराल प्रत्येक वर्ष की स्थिती एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति का फोटो अनिवार्यतः हितग्राही की फाइल में लगाया जावेगा।

22. मॉनीटरिंग व रिपोर्टिंग:–

22.1 मूल्यांकन कर्ता अधिकारी ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी/वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी द्वारा सतत रूप से मॉनीटरिंग की जावेगी, मॉनीटरिंग हेतु कंटनजेन्सी मद का उपयोग फील्ड अधिकारी के पी.ओ.एल. पर व्यय करने का अधिकार होगा, जोकि अधिकतम 500 रू प्रतिमाह/प्रति क्लस्टर होगा।

22.2 जिला स्तर पर त्रैमासिक रूप से जिला कार्यक्रय समन्यक द्वारा बैठक का आयोजन उप/सहायक संचालक उद्यान विभाग/मनरेगा/वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी/ग्रामीण उद्यान विकास अधिकारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अधिकारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत की उपस्थिती में किया जाकर उदभूत होने वाली कठिनाइयों का निराकरण कर आवश्यक मार्गदर्शन दिया जावेगा।

22.3 त्रैमासिक बैठकों के अलावा एक बैठक वर्षाकाल प्रारम्भ होने के पूर्व पर्याप्त समय रहते चयनित हितग्राहियों की उपस्थिती में अनिवार्य रूप से आयोजित की जाकर वार्षिक कार्ययोजना को अंतिम रूप दिया जावे, जिसमें हितग्राहियों को पूर्ण रूपेण तकनीकी प्रशिक्षण भी प्रदाय किया जावेगा व टी.एस/ए.एस. की प्रति/तकनीकी साहित्य उपलब्ध कराया जायेगा।

22.4 संभागीय प्रबंधंक मनरेगा द्वारा संभाग स्तर पर परियोजना अधिकारी मनरेगा एवं उप/सहायक संचालक उद्यान उद्यान विभाग/सहायक उद्यानिकी मनरेगा के साथ प्रत्येक माह बैठक का आयोजन किया जायेगा, संपूर्ण योजना के कयान्वयन में सतत मॉनीटरिंग करते हुये योजना की सफलता हेतु पूर्ण प्रयास किये जावेंगे।

22.5 जिला स्तर पर उप/सहायक संचालक उद्यान उद्यान विभाग एवं मनरेगा, उद्यानिकी अधिकारी के संयुक्त उपस्थिती में प्रत्येक माह अधिनस्थ कर्मचारियों/सर्विस प्रोवाइडर/कियान्वित एजेन्सी के साथ बैठक आयोजित की जावेगी।

22.6 प्रत्येक बैठक में की गई कार्यवाही के आधार पर पालन प्रतिवेदन से स्टेट नोडल अधिकारी उद्यानिकी मनरेगा परिषद भोपाल एवं संचालक उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी को अवगत कराया जावेगा।

22.7 योजना की सफल मॉनीटरिंग हेतु राज्य स्तर, जिला स्तर, जनपद स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किये जावेंगे, जिनके नाम, पद, पदस्थापना स्थल, मोबाइल नंबर से सभी को अवगत कराया जावेगा।

प्रतिवर्ष राज्य स्तर से 5 प्रतिशत तक जिला पंचायत स्तर से कम से कम 50 प्रतिशत जनपद स्तर से 100 प्रतिशत कार्यों की गुणवत्ता व समयबद्व कियान्वयन की मॉनीटरिंग हेतु पात्र हितग्राहियों के फील्ड का भ्रमण किया जावेगा।

उपरोक्त कार्ययोजना के क्रियान्वयन के लिये वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु प्रारंभिक तैयारी का समय पर्याप्त न होने से पृथक से कैलेण्डर तैयार किया गया जो परिशिष्ट–अ में दर्शित है, वर्ष 2016–17 हेतु वार्षिक कैलेण्डर परिशिष्ट–ब में दर्शित है। विभिन्न फलदार पौधों के योजना के प्रावधान अनुसार मनरेगा के एसओआर के अनुरूप मॉडल प्राक्कलन परिशिष्ट 1,2,3 एवं 4 पर सलग्न है, जो कि पूर्णतः मार्गदर्शी व सांकेतिक है। प्रत्येक जिला आवश्यकतानुसार/योजना के प्रावधान अनुसार उद्यानिकी व मनरेगा विभाग के सहयोग से जिले की परिस्थिति अनुसार वास्तविक प्राक्कलन तैयार करा सकते है।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा नंदन फलोद्यान योजनांतर्गत जारी पत्र कमांक 6673/22 वि–7/एन.आर.ई.जी./2007 भोपाल दिनॉक 20.04.2007 को एवं समय–समय पर जारी अन्य निर्देश यथावत रहेंगे।

दोनों विभागों के अभिसरण से तैयार की गयी कार्ययोजना का क्रियान्वयन निर्धारित कैलेण्डर अनुसार पौधों की उत्तर जीवितता पर केन्द्रित करते हुए सुनिश्चित किया जाए।

संलग्न :– परिशिष्ट अ, ब एवं 1,2,3 से 4 तक।

(प्रवीर कृष्ण)
प्रमुख सचिव
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

(अरूणा शर्मा)
अपर मुख्य सचिव
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ.क्र./6715/MGNREGS -MP/NR-3/2015

भोपाल, दिनांक 27/06/2015

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त, मध्यप्रदेश राज्य रो.गां.परिषद् भोपाल।
2. संचालक, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
3. स्टेट नोडल ऑफीसर वृक्षारोपण/उद्यानिकी मनरेगा परिषद् पर्यावास भवन भोपाल।
4. समस्त संयुक्त संचालक उद्यान विभाग जिला .....
5. समस्त उप संचालक उद्यान जिला.....
6. समस्त सहायक संचालक उद्यान जिला.....

(प्रवीर कृष्ण)
प्रमुख सचिव
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

(अरूणा शर्मा)
अपर मुख्य सचिव
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

परिशिष्ट–अ

वर्ष 2015–16 हेतु उद्यानिकी विभाग से अभिसरण फल पौध रोपण वार्षिक कैलेण्डर

क्र	गतिविधियों का विवरण	अवधि कब तक	जिम्मेदार एजेंसी
1	**क्लस्टर एवं हितग्राहियों का चयन**		
1.1	ग्राम पंचायत/क्लस्टर क्षेत्र का चयन करना	जून–जुलाई 2015	उद्यान विभाग/मनरेगा/जि.पं.
1.2	हितग्राही चयन,एस.ओ.पी. में शामिल करना, प्रजातियों का चयन, आवेदन प्राप्त करना, तकनीकी स्वीकृति व प्रशासकीय स्वीकृति जारी करना।	जून–जुलाई 2015	ग्रा.उ.वि.अ./व.उ.वि.अ./उ.स. मनरेगा/ग्रा.पं.स.स./स.सं.उद्यान /स.सं.मनरेगा/मु.का.जिला पंचायत/कलेक्टर
2	**नर्सरी स्थापना पौध उत्पादन संबंधी कार्य**		
2.1	हितग्राही/स्वासहायता समूह/उद्यान विभ द्वारा नर्सरी की तैयारी, नर्सरी स्थल का चयन, पानी की व्यवस्था, नर्सरी शेड का निर्माण व अन्य सामग्री की व्यवस्था डीपीआर अनुसार, फेंसिंग व कार्य प्रारंभ	जून–जुलाई 2015	चयनित एसएचजी/ हितग्राही ग्रा.उ.वि.अ./व.उ.वि.अ./उ.स. मनरेगा/स.सं.उद्यान./स.सं. मनरेगा/मु.का.जिला पंचायत
2.2	नर्सरी में पॉलिथिन बैगों की भराई व सीधे बीज बुवाई सुनिश्चित करना,	जून–जुलाई 2015	चयनित एसएचजी/ हितग्राही/ उ.वि.अ./व.उ.वि.अ./उ.स. मनरेगा/ग्रा.पं.स.स./स.सं.उद्यान /स.सं.मनरेगा/मु.का.जिला पंचायत
2.3	नर्सरी में निदांई गुडाई, सफाई, नियमित सिंचाई व अन्य प्रबंधन कार्य	अगस्त से जनवरी तक 2016	चयनित एसएचजी/ हितग्राही/ वि.वि./उद्यान विभाग/मनरेगा उद्यानिकी अधिकारी
2.4	छोटी पोलेथिन बैग से बड़े पोलेथिन बैग में पौधों का हस्तांतरण करना व निदांई, गुडाई, सफाई, सिंचाई, छाया व अन्य प्रबंधन कार्य। (ब) रोड साईड वृक्षारोपण स्थल कार्य – सर्वे, स्थल की सफाई, कीटनाशन दवाओं का क्रय	फरवरी–मॉर्च 2016	चयनित एसएचजी/ हितग्राही/ वि.वि./उद्यान विभाग/मनरेगा उद्यानिकी अधिकारी

2.5	पोलेथिन बेग की सिफटिंग, बडी पोलेथिन में स्थानांतरण, निदांई, गुडाई, खाद, उर्वरक प्रदाय, दवा का छिडकाव,कटिंग–छटिंग, पौधों को सहारादेना, सफाई, सिंचाई, छाया व अन्य समस्त प्रबंधन	अप्रैल से जून 2016	चयनित एसएचजी / हितग्राही / वि.वि. / उद्यान विभाग / मनरेगा उद्यानिकी अधिकारी
3	**वृक्षारोपण कार्य**		
3.1	गड्डो की खुदाई	जून–जुलाई 2015	हितग्राही / ग्रा.वि.वि. / उद्यान विभाग / मनरेगा उद्यानिकी अधिकारी
3.2	गड्डो की खुदाई गड्डो में दवा का प्रयोग एवं फेंसिग व्यवस्था हेतु लोकल ईको फ्रेंडली सामग्री की व्यवस्था।	जून–जुलाई 2015	हितग्राही / ग्रा.वि.वि. / उद्यान विभाग / मनरेगा उद्यानिकी अधिकारी
3.3	गोबर की खाद एवं अन्य रासायनिक उर्वरक का क्रय	जून–जुलाई 2015	हितग्राही / ग्रा.वि.वि. / उद्यान विभाग / मनरेगा उद्यानिकी अधिकारी
3.4	गड्डो की भराई एवं हितग्राहियों / अधिकारियों का प्रशिक्षण	जून–जुलाई 2015	हितग्राही / ग्रा.वि.वि. / उद्यान विभाग / मनरेगा उद्यानिकी अधिकारी
3.5	पौधों का परिवहन एवं प्रत्यारोपण व फेंसिं निदांई गुडाई, सिंचाई व्यवस्था।	जून 2015 जुलाई 2015 अगस्त 2015	हितग्राही / ग्रा.वि.वि. / उद्यान विभाग / मनरेगा उद्यानिकी अधिकारी
4	**संधारण कार्य हितग्राही द्वारा**		
4.1	पौधरोपण उपरांत सिंचाई, निंदाई–गुड़ाई, थाला निर्माण, मिट्टी चढ़ाना	अगस्त–सितम्बर	हितग्राही / ग्रा.वि.वि. / उद्यान विभाग / मनरेगा उद्यानिकी अधिकारी
4.2	लगाये गए पौधों की सुरक्षा, निंदाई, गुंडाई, थाला बनाना, सहारा देना, दवाई, उर्वरक देना, कंटाई छंटाई, फेंसिग, सिंचाई सहित समस्त प्रबंधन कार्य।	अक्टूबर–जून	हितग्राही / ग्रा.वि.वि. / उद्यान विभाग / मनरेगा उद्यानिकी अधिकारी

उद्यानिकी विभाग से अभिसरण फल पौध रोपण वार्षिक कैलेंडर 2016–17 हेतु

क्र	गतिविधियों का विवरण	अवधि कब तक	जिम्मेदार एजेंसी
1	**क्लस्टर एवं हितग्राहियों का चयन**		
1.1	ग्राम पंचायत/क्लस्टर क्षेत्र का चयन करन	सितम्बर	उद्यान विभाग/मनरेगा/जि.पं.
1.2	हितग्राही चयन,एस.ओ.पी. में शामिल करना, प्रजातियों का चयन, आवेदन प्राप्त करना, तकनीकी स्वीकृति व प्रशासकीय स्वीकृति जारी करना।	अक्टूबर	ग्रा.उ.वि.अ./व.उ.वि.अ./उ.स. मनरेगा/ग्रा.पं.स.स./स.सं.उद्यान /स.सं.मनरेगा/मु.का.जिला पंचायत/कलेक्टर
1.3	चयन अनुसार वृक्षारोपण कार्य को ग्राम पंचायत के एसओपी में शामिल किया जाना।	अक्टूबर–नवम्बर	ग्रा.पं./जं.पं./जि.पं.
2	**नर्सरी स्थापना पौध उत्पादन संबंधी कार्य**		
2.1	स्वसहायता समूह द्वारा नर्सरी की तैयारी, नर्सरी का चयन, पानी की व्यवस्था, नर्सरी शेड का निर्माण व अन्य सामग्री की व्यवस्था डीपीआर अनुसार, फेंसिंग व कार्य प्रारंभ	नवम्बर	चयनित एसएचजी/ हितग्राही ग्रा.उ.वि.अ./व.उ.वि.अ./उ.स. मनरेगा/स.सं.उद्यान./स.सं. मनरेगा/मु.का.जिला पंचायत
2.2	नर्सरी में पॉलिथिन बैगों की भराई	दिसम्बर– जनवरी	चयनित एसएचजी/ हितग्राही ग्रा.उ.वि.अ./व.उ.वि.अ./उ.स. मनरेगा/स.सं.उद्यान./स.सं. मनरेगा/मु.का.जिला पंचायत
2.3	पॉलिथिन बैग में बीज बुवाई सुनिश्चित करना,	फरवरी–मार्च	चयनित एसएचजी/ हितग्राही ग्रा.उ.वि.अ./व.उ.वि.अ./उ.स. मनरेगा/स.सं.उद्यान./स.सं. मनरेगा/मु.का.जिला पंचायत
2.4	नर्सरी में निदांई गुडाई, सफाई, नियमित सिंचा अन्य प्रबंधन कार्य	मार्च–अप्रैल–मई	चयनित एसएचजी/ हितग्राही ग्रा.उ.वि.अ./व.उ.वि.अ./उ.स. मनरेगा/स.सं.उद्यान./स.सं. मनरेगा/मु.का.जिला पंचायत
2.5	छोटी पोलेथिन बैग से बड़े पोलेथिन बैग में पौधों का हस्तांतरण करना व निदांई, गुडाई, सफाई, सिंचाई, छाया व अन्य प्रबंधन कार्य। (ब) रोड साईड वृक्षारोपण स्थल कार्य – सर्वे, की सफाई, कीटनाशन दवाओं का क्रय	जून–जुलाई –अगस्त	चयनित एसएचजी/ हितग्राही ग्रा.उ.वि.अ./व.उ.वि.अ./उ.स. मनरेगा/स.सं.उद्यान./स.सं. मनरेगा/मु.का.जिला पंचायत

2.6	पोलेथिन बेग की सिफटिंग, बडी पोलेथिन बैग में स्थानांतरण, निदांई, गुडाई, खाद, उर्वरक प्रदाय, दवा का छिडकाव, कटिंग–छटिंग, पौधों को सहारा देना, सफाई, सिंचाई, छाया व समस्त प्रबंधन कार्य।	सितम्बर से जून	चयनित एसएचजी/ हितग्राही ग्रा.उ.वि.अ./व.उ.वि.अ./उ.स. मनरेगा/स.सं.उद्यान./स.सं. मनरेगा/मु.का.जिला पंचायत
3	**वृक्षारोपण कार्य**		
3.1	गड्डो की खुदाई	फरवरी	हितग्राही/ ग्रा.वि.वि./उद्यान विभाग/मनरेगा उद्यानिकी अधिकारी मनरेगा/मु.का.जिला पंचायत
3.2	गड्डो की खुदाई गड्डो में दवा का प्रयोग एवं फेंसिग व्यवस्था हेतु लोकल ईको फ्रेडली सामग्री की व्यवस्था।	मार्च	हितग्राही/ ग्रा.वि.वि./उद्यान विभाग/मनरेगा उद्यानिकी अधिकारी
3.3	गोबर की खाद एवं अन्य रासायनिक उर्वरक का क्रय	अप्रैल	हितग्राही/ ग्रा.वि.वि./उद्यान विभाग/मनरेगा उद्यानिकी अधिकारी
3.4	गड्डो की भराई एवं हितग्राहियों/ अधिकारियों का प्रशिक्षण	मई	हितग्राही/ ग्रा.वि.वि./उद्यान विभाग/मनरेगा उद्यानिकी अधिकारी
3.5	पौधों का परिवहन एवं प्रत्यारोपण व फेंसिग, निदांई गुडाई, सिंचाई व्यवस्था।	जून जुलाई अगस्त	हितग्राही/ ग्रा.वि.वि./उद्यान विभाग/मनरेगा उद्यानिकी अधिकारी
4	**संधारण कार्य हितग्राही द्वारा**		
4.1	पौधरोपण उपरांत सिंचाई, निंदाई–गुड़ाई, थाला निर्माण, मिट्टी चढ़ाना	अगस्त–सितम्बर	हितग्राही/ ग्रा.वि.वि./उद्यान विभाग/मनरेगा उद्यानिकी अधिकारी
4.2	लगाये गए पौधों की सुरक्षा, निंदाई, गुंडाई, थाला बनाना, सहारा देना, दवाई, खाद उर्वरक कंटाई छंटाई, फेंसिग, सिंचाई सहित समस्त प्रबंधन कार्य।	अक्टूबर–जून	हितग्राही/ ग्रा.वि.वि./उद्यान विभाग/मनरेगा उद्यानिकी अधिकारी

नंदनफलोद्यान योजना का प्रस्तावित आंकलन व्यय प्रति हेक्टेयर (1.0 हेक्टेयर) तीन वर्षीय योजना

कार्य योजना का नाम ..... क्षेत्रफल..... ग्राम पंचायत का नाम.....
हितग्राही का नाम..... खसरा नंबर.....
चयनित पौधे– अमरूद, नीबू, संतरा, मोसम्बी, ऑवला, आम, सीताफल, बेर, अनार
पौधों से पोधों की दूरी – 6×6 मीटर, कुल वृक्ष पौध संख्या 1.0 हेक्ट/280 पौाधे अमरूद, नीबू आदि
कुल पौध संख्या – 280

क.	कार्य का विवरण	दर (रूपये में)	मात्रा	लागत मजदूरी	लागत सामग्री	कृषक अंश	योग (रूपये में)	रिमार्क
1	**खेत का रेखांकन**	0.20 प्रति र.मी.	8000 र.मी.	960	640		1600	
2	**पौध हेतु गड्डा खुदाई–**							
	बडे फलदार वृक्ष हेतु 0.60×0.60× 0.60=0.216 मीटर	73.80 प्रति घन मी. 15.94प्रति गड्डा	280 गड्डे	4463	–		4463	
3	**गोबर की खाद 10 किलो प्रति पौधा**	10 रू. प्रति पौधा	280 पौधे	–		2800	–	
4	**सिंगल सुपर फास्फेट**							
	500 ग्रम प्रति पौधा/280 पौधे	6.6 प्रति किलो	140 किलो	–	924		924	
5	**म्यूरेट आफ पोटास**							
	250 ग्रम प्रति पौधा/280 पौधे	17.8 प्रति किलो	70 किलो	–	1246		1246	
6	**यूरिया**							
	250 ग्रम प्रति पौधा/280 पौधे (टॉप ड्रेसिंग के रूप में सितंबर–अक्टुबर एवं फरवरी–मार्च के माह में वर्ष में 2 बार)	6 प्रति किलो	70 किलो	–	420		420	
7	**थीमेट, फोरेट**							
	25 ग्रम प्रति पौधा/280 पौधे	59 प्रति किलो	7 किला	–	413		413	
8	**पौधों की कीमत**							
	अमरूद एवं नीबू 3 से 4.5 फिट उंचाई के (परिवहन सहित)	30 प्रति पौधा	336 पौधे	–	9080	1000	9080	
9	**खाद उर्वरक एवं मिट्टी का मिश्रण बनाना व गड्डा भराई पुनः लेआउट करके, पौध रोपण करना, तत्काल् सिंचाई एवं गेप फीलिंग**	10 प्रति पौधा	280	2800	–		2800	

10	**सुरक्षा हेतु वायरब्रिड वायर कय**	80.23	200 किलो	–	16000		16000	
11	**सीमेन्ट पोल/बल्ली इत्यादि की व्यवस्था**	100 प्रति नग	135	–	–	13500		
12	**पौध संरक्षण दवायें**	5 प्रति पौधा	280	–	1400		1400	
13	**सिंचाई, निंदाई, गुडाई, दवा छिडकाव, थाला बनाना, मिट्टी चढाना इत्यादि संपूर्ण देखरेख हेतु 90 प्रतिशत जीवित रहने की स्थिति में**	159 प्रति दिन (5 रू प्रतिपौधा प्रतिमाह के हिसाब से, 11 माह तक)	97 श्रमिक पूरे वर्ष में	15400			15400	
14	**रोपण हेतु आवश्यक उपकरण**							
	स्प्रेयर पंप (1पंप 0.5 कि.मी. हेतु)	1250	1	–				
	गेंती	150	1	–				
	फावडा	100	2	–				
	सब्बल	80	1	–				
	तसला	100	2	–				
	सिकेटियर	200	1	–				
15	**द्वितीय वर्ष में कुल व्यय**							
	20 प्रतिशत गैफ फीलिंग	30 प्रति पौधा	56	–	1680		1680	
	परिवहन व्यय पौधे एवं अन्य सामग्री	–	–	–	–		–	
	खाद उर्वरक पर व्यय	10 प्रति पौधे	280	–	–	2800	–	
	पौध संरक्षण पर व्यय	5 प्रति पौधे	280	–	1400		1400	
	सिंचाई, निदाई, गुडाई इत्यादि पर संपूर्ण देखरेख सहित मजदूरी व्यय 90 प्रतिशत जीवित रहने की स्थिति में	159 प्रति दिन (5 रू प्रतिपौधा प्रतिमाह के हिसाब से 12 माह तक)	106 श्रमिक पूरे वर्ष में	16800	–		16800	
16	**तृतीय वर्ष में कुल व्यय**							
	10 प्रतिशत गैफ फीलिंग	30 प्रति पौधा	28	–	840		840	
	खाद उर्वरक पर व्यय	10 प्रति पौधे	280	–	–	2800	–	
	पौध संरक्षण पर व्यय	5 प्रति पौधे	280	–	1400		1400	
	सिंचाई, निदाई, गुडाई इत्यादि पर संपूर्ण देखरेख सहित मजदूरी व्यय 90 प्रतिशत जीवित रहने की स्थिति में	159 प्रति दिन (5 रू प्रतिपौधा प्रतिमाह के हिसाब से 12 माह तक)	106 श्रमिक पूरे वर्ष में	16800	–		16800	
	योग			**57223**	**35443**	**22900**	**92666**	

नोटः– 1. तैयार कार्ययोजना में लागत सामग्री पर 25 प्रतिशत कृषक अंश शामिल है। उपरोक्त के अलावा फेन्सिग व्यवस्था हेतु सीमेन्ट पोल/बल्ली की व्यवस्था भी हितग्राही द्वारा कृषक अंश से की जावेगी।

2. प्रारंभ के 3 वर्षो तक अंतरावर्ती फसल मिर्च, बैगन, प्याज, धनिया, सोयाबीन, गेहुँ इत्यादि से हितग्राही द्वारा आय प्राप्त की जा सकती है।

मनरेगा योजनांतर्गत व्यय

मजदूरी पर व्यय	–	57223	(योजना का 60.00 प्रतिशत)
सामग्री पर व्यय	–	35443	(योजना का 37.00 प्रतिशत)
अतिरिक्त 3.5 प्रतिशत कन्टनजेंसी व्यय	–	3000	(योजना का 03.00 प्रतिशत)
प्रस्तावित योजना अनुसार कुल व्यय	–	**95666**	

नंदनफलोद्यान योजना का प्रस्तावित आंकलन व्यय प्रति हेक्टेयर (1.0 हेक्टेयर) तीन वर्षीय योजना

कार्य योजना का नाम ..... क्षेत्रफल..... ग्राम पंचायत का नाम.....
हितग्राही का नाम..... खसरा नंबर.....
चयनित पौधे– अमरूद, नीबू, संतरा, मोसम्बी, ऑवला, आम, सीताफल, बेर, अनार एवं फेन्सिग के किनारे–किनारे बांस के पौधों का रोपण 3–3 मी. दूरी पर पौधों से पोधों की दूरी – 6×6 मीटर, कुल वृक्ष पौध संख्या 1.0 हेक्ट/280 पौाधे अमरूद, नीबू आदि
कुल पौध संख्या – 280 फलदार एवं 133 पौधे बांस

क.	कार्य का विवरण	दर (रूपये में)	मात्रा	लागत मजदूरी	लागत सामग्री	लागत कृषक अंश	योग (रूपये में)	रिमार्क
1	**खेत का रेखांकन**	0.20 प्रति र.मी.	8000 र.मी.	960	640		1600	
2	**पौध हेतु गड्डा खुदाई–**							
	बडे फलदार वृक्ष हेतु 0.60×0.60× 0.60 = 0.216 मीटर	73.80 प्रति घन मी. 15.94प्रति गड्डा	413 गड्डे	6583	–		6583	
3	**गोबर की खाद 10 किलो प्रति पौधा**	10 रू. प्रति पौधा	413 पौधे	–	4130		4130	
4	**सिंगल सुपर फास्फेट**							
	500 ग्रम प्रति पौधा/413 पौधे	6.6 प्रति किलो	200 किलो	–	1320		1320	
5	**म्यूरेट आफ पोटास**							
	250 ग्रम प्रति पौधा/413 पौधे	17.8 प्रति किलो	100 किलो	–	1780		1780	
6	**यूरिया**							
	250 ग्रम प्रति पौधा/413 पौधे (टॉप ड्रेसिंग के रूप में सितंबर–अक्टुबर एवं फरवरी–मार्च के माह में वर्ष में 2 बार)	6 प्रति किलो	100 किलो	–	600		600	
7	**थीमेट, फोरेट**							
	25 ग्रम प्रति पौधा/413 पौधे	59 प्रति किलो	10 किला	–	590		590	
8	**पौधों की कीमत**							
	अमरूद एवं नीबू 3 से 4.5 फिट उंचाई के (परिवहन सहित)	30 प्रति पौधा	336 पौधे	–	10080		10080	
	बांस के पौधे 1.5–2.0 5 फिट उंचाई के (परिवहन सहित)	15 प्रति पौधा	159 पौधे		2385		2385	
9	**खाद उर्वरक एवं मिट्टी का मिश्रण**	10 प्रति पौधा	413	4130	–		4130	

	बनाना व गड्डा भराई पुनः लेआउट करके, पौध रोपण करना, तत्काल् सिंचाई एवं गेप फीलिंग							
10	सुरक्षा हेतु वायरब्रिड वायर क्रय	80.23	200 किलो	—	16000		16000	
11	**सीमेन्ट पोल/बल्ली इत्यादि की व्यवस्था**	100 प्रति नग	135	—	—	13500		
12	**पौध संरक्षण दवायें**	5 प्रति पौधा	413	—	2065		2065	
13	**सिंचाई, निंदाई, गुडाई, दवा छिडकाव, थाला बनाना, मिट्टी चढाना इत्यादि संपूर्ण देखरेख हेतु 90 प्रतिशत जीवित रहने की स्थिति में**	159 प्रति दिन (5 रू प्रतिपौधा प्रतिमाह के हिसाब से, 11 माह तक)	143 श्रमिक पूरे वर्ष में	22715			22715	100 दिवस पूर्ण होने पर शेष श्रम हेतु हितग्राही द्वारा प्रस्तुत श्रमिक मॉग अनुसार अन्य श्रमिक को जीवितता अनुसार टॉस्क भुगतान पर कार्य पर लगाया जावेगा
14	**रोपण हेतु आवश्यक उपकरण**							
	स्प्रेयर पंप (1पंप 0.5 कि.मी. हेतु)	1250	1	—				
	गेंती	150	1	—				
	फावडा	100	2	—				
	सब्बल	80	1	—				
	तसला	100	2	—				
	सिकेटियर	200	1	—				
15	**द्वितीय वर्ष में कुल व्यय**							
	20 प्रतिशत गैफ फीलिंग	30 प्रति पौधा	56	—	1680		1680	
	बांस के पौधे गैफ फिलिंग	15 प्रति पौधा	26		390		390	
	खाद उर्वरक पर व्यय	10 प्रति पौधे	413	—	2130	2000	2130	
	पौध संरक्षण पर व्यय	5 प्रति पौधे	413	—	2065		2065	
	सिंचाई, निदाई, गुडाई इत्यादि पर संपूर्ण देखरेख सहित मजदूरी व्यय 90 प्रतिशत जीवित रहने की स्थिति में	159 प्रति दिन (5 रू प्रतिपौधा प्रतिमाह के हिसाब से, 12 माह तक)	156 श्रमिक पूरे वर्ष में	24780			24780	
16	**तृतीय वर्ष में कुल व्यय**							
	10 प्रतिशत गैफ फीलिंग	30 प्रति पौधा	28	—	840		840	
	खाद उर्वरक पर व्यय	10 प्रति पौधे	413	—	2130	2000	2130	
	पौध संरक्षण पर व्यय	5 प्रति पौधे	413	—	2065		2065	
	सिंचाई, निदाई, गुडाई इत्यादि पर संपूर्ण देखरेख सहित मजदूरी व्यय 90 प्रतिशत जीवित रहने की स्थिति में	159 प्रति दिन (5 रू प्रतिपौधा प्रतिमाह के हिसाब से, 12 माह तक)	156 श्रमिक पूरे वर्ष में	24780			24780	
	योग			**83948**	**50890**	**17500**	**134838**	

नोटः– 1. तैयार कार्ययोजना में लागत सामग्री पर 25 प्रतिशत कृषक अंश शामिल है। उपरोक्त के अलावा फेन्सिग व्यवस्था हेतु सीमेन्ट पोल/बल्ली की व्यवस्था भी हितग्राही द्वारा कृषक अंश से की जावेगी।

2. प्रारंभ के 3 वर्षो तक अंतरावर्ती फसल मिर्च, बैगन, प्याज, धनिया, सोयाबीन, गेहुँ इत्यादि से हितग्राही द्वारा आय प्राप्त की जा सकती है।

3. संतरा मौसम्बी, अनार आदि पौधों में फलन के समय सहारा की आवश्यकता होती है। अतः तीन वर्ष बाद लगाये गये बांस पौधों से फलदार पौधों को सहारा हेतु बांस प्राप्त हो सकेंगे।

मनरेगा योजनांतर्गत व्यय

मजदूरी पर व्यय	–	83948	(योजना का 60.00 प्रतिशत)
सामग्री पर व्यय	–	50890	(योजना का 36.50 प्रतिशत)
अतिरिक्त 3.5 प्रतिशत कन्टनजेंसी व्यय	–	4800	(योजना का 03.50 प्रतिशत)
प्रस्तावित योजना अनुसार कुल व्यय	–	**139638**	

नंदनफलोद्यान योजना का प्रस्तावित आंकलन व्यय प्रति हेक्टेयर (1.0 हेक्टेयर) तीन वर्षीय योजना

कार्य योजना का नाम ..... क्षेत्रफल..... ग्राम पंचायत का नाम.....
हितग्राही का नाम..... खसरा नंबर.....
चयनित पौधे– अमरूद, नीबू, संतरा, मोसम्बी, ऑवला, आम, सीताफल, बेर, अनार एवं फेन्सिग के किनारे–किनारे बांस के पौधों का रोपण 3–3 मी. दूरी पर पौधों से पोधों की दूरी – 6×6 मीटर, कुल वृक्ष पौध संख्या 1.0 हेक्ट/280 पौाधे अमरूद, नीबू आदि एवं अंतरवर्ती फसल के रूप में 1600 पौधे पपीता के
कुल पौध संख्या – 280 फलदार एवं 133 पौधे बांस + 1600 पौधे पपीता

क.	कार्य का विवरण	दर (रूपये में)	मात्रा	लागत मजदूरी	लागत सामग्री	लागत कृषक अंश	योग (रूपये में)	रिमार्क
1	**खेत का रेखांकन**	0.20 प्रति र.मी.	8000 र.मी.	960	640		1600	
2	**पौध हेतु गड्डा खुदाई–**							
	बडे फलदार वृक्ष हेतु 0.60×0.60× 0.60=0.216 मीटर	73.80 प्रति घन मी. 15.94प्रति गड्डा	413 गड्डे	6583	–		6583	
	पपीता पौधों हेतु गड्डों की खुदाई 0.45×0.45×0.45=0.091 मीटर	73.80 प्रति घनमी 6.71 प्रति गड्डा	1600 गड्डे	10736	–		10736	
3	**गोबर की खाद 10 किलो प्रति पौधा**	10 रू. प्रति पौधा	413 पौधे	–		4130	4130	पपीता हेतु गोबर की खाद एवं अन्य रासायनिक उर्वरक की व्यवस्था हितग्राही द्वारा स्वयं की जावेगी
4	**सिंगल सुपर फास्फेट**							
	500 ग्रम प्रति पौधा/413 पौधे	6.6 प्रति किलो	200 किलो	–	1320		1320	
5	**म्यूरेट आफ पोटास**							
	250 ग्रम प्रति पौधा/413 पौधे	17.8 प्रति किलो	100 किलो	–	1780		1780	
6	**यूरिया**							
	250 ग्रम प्रति पौधा/413 पौधे (टॉप ड्रेसिंग के रूप में सितंबर–अक्टुबर एवं फरवरी–मार्च के माह में वर्ष में 2 बार)	6 प्रति किलो	100 किलो	–	600		600	
7	**थीमेट, फोरेट**							
	25 ग्रम प्रति पौधा/413 पौधे	59 प्रति किलो	10 किला	–	590		590	
8	**पौधों की कीमत**							
	अमरूद एवं नीबू 3 से 4.5 फिट उंचाई के (परिवहन	30 प्रति पौधा	336 पौधे	–	10080		10080	

	सहित)							
	बांस के पौधे 1.5–2.0 5 फिट उंचाई के (परिवहन सहित)	15 प्रति पौधा	159 पौधे		2385		2385	
	ब– पपीता पौधे ताईवानी 786 (रेडलेडी)	15	1760 पौधे	–	26400		26400	परिवहन हितग्राही द्वारा किया जावेगा
9	**खाद उर्वरक एवं मिट्टी का मिश्रण बनाना व गड्डा भराई पुनः लेआउट करके, पौध रोपण करना, तत्काल् सिंचाई एवं गेप फीलिंग**	10 प्रति पौधा	413	4130	–		4130	
10	**पपीता पौधों की गड्ढा भराई एवं पौध रोपण**	2 प्रति पौधा	1600	3200	–		3200	
11	सुरक्षा हेतु वायरब्रिड वायर क्रय	80.23	200 किलो	–	16000		16000	
	सीमेन्ट पोल/बल्ली इत्यादि की व्यवस्था	100 प्रति नग	135	–	–	13500		
12	**पौध संरक्षण दवायें**	5 प्रति पौधा	413	–	2065		2065	
13	**सिंचाई, निंदाई, गुडाई, दवा छिडकाव, थाला बनाना, मिट्टी चढाना इत्यादि संपूर्ण देखरेख हेतु 90 प्रतिशत जीवित रहने की स्थिति में**	159 प्रति दिन (5 रू प्रतिपौधा प्रतिमाह के हिसाब से, 11 माह तक)	143 श्रमिक पूरे वर्ष में	22715			22715	100 दिवस पूर्ण होने पर शेष श्रम हेतु हितग्राही द्वारा प्रस्तुत श्रमिक मॉग अनुसार अन्य श्रमिक को जीवितता अनुसार टॉस्क भुगतान पर कार्य पर लगाया जावेगा
	पपीता पौधों पर मजदूरी प्रबंधन एवं संपूर्ण देखरेख हेतु 90 प्रतिशत जीवित रहने की स्थिति में	1.5 रू प्रति पौधा प्रतिमाह 8 माह तक	121 श्रमिक पूरे वर्ष में	19200	–		19200	पौधरोपण के 8 माह बाद हितग्राही को उत्पादन प्राप्त होने लगेगा अतः आगे व्यय हितग्राही द्वारा स्वयं किया जावेगा
14	**रोपण हेतु आवश्यक उपकरण**							
	स्प्रेयर पंप (1पंप 0.5 कि.मी. हेतु)	1250	1	–				
	गेंती	150	1	–				
	फावडा	100	2	–				
	सब्बल	80	1	–				
	तसला	100	2	–				
	सिकेटियर	200	1	–				
15	**द्वितीय वर्ष में कुल व्यय**							
	20 प्रतिशत गैफ फीलिंग	30 प्रति पौधा	56	–	1680		1680	
	बांस के पौधे गैफ फिलिंग	15 प्रति पौधा	26	–	390		390	
	खाद उर्वरक पर व्यय	10 प्रति पौधे	413	–	–		–	पपीता से प्राप्त आय से हितग्राही द्वारा स्वयं अंश से व्यवस्था की जावेगी
	पौध संरक्षण पर व्यय	5 प्रति पौधे	413	–	–		–	
	सिंचाई, निदाई, गुडाई इत्यादि पर संपूर्ण देखरेख सहित मजदूरी व्यय 90	159 प्रति दिन (5 रू प्रतिपौधा प्रतिमाह	156 श्रमिक पूरे वर्ष में	24780			24780	

	प्रतिशत जीवित रहने की स्थिति में	के हिसाब से, 12 माह तक)						
16	**तृतीय वर्ष में कुल व्यय**							
	10 प्रतिशत गैफ फीलिंग	30 प्रति पौधा	28	–	840		840	
	खाद उर्वरक पर व्यय	10 प्रति पौधे	413	–	–		–	
	पौध संरक्षण पर व्यय	5 प्रति पौधे	413	–	–		–	
	सिंचाई, निदाई, गुडाई इत्यादि पर संपूर्ण देखरेख सहित मजदूरी व्यय 90 प्रतिशत जीवित रहने की स्थिति में	159 प्रति दिन (5 रू प्रतिपौधा प्रतिमाह के हिसाब से, 12 माह तक)	156 श्रमिक पूरे वर्ष में	24780			24780	
	योग			**117084**	**64770**	**17630**	**181854**	

नोटः– **1.** तैयार कार्ययोजना में लागत सामग्री पर 25 प्रतिशत कृषक अंश शामिल है।

2. ताईवानी पपीता लगाने के आठ माह बाद फल देना प्रारंभ कर देता है, लगाये गये 95 प्रतिशत पौधों में फल प्राप्त होते है, जोकि प्रतिपौधा न्यूनतम 50–60 कि. ग्रा. तक 24 माहों के भीतर प्राप्त होते है। जिस कारण हितग्राही को वास्तविक फलन 1300 पौधों से ही 10 रू प्रति किलो भाव होने से 5.0 से 6.0 लाख रूपये की आय प्राप्त हो सकती है।

3. प्रारंभ के 6 माहों तक अंतरावर्ती फसल मिर्च, बैगन, प्याज, धनिया इत्यादि से भी हितग्राही द्वारा आय प्राप्त की जा सकती है।

4. संतरा मौसम्बी, अनार आदि पौधों में फलन के समय सहारा की आवश्यकता होती है। अतः तीन वर्ष बाद लगाये गये बांस पौधों से फलदार पौधों को सहारा हेतु बांस प्राप्त हो सकेंगे।

मनरेगा योजनांतर्गत व्यय

मजदूरी पर व्यय	–	117084	(योजना का 62.00 प्रतिशत)
सामग्री पर व्यय	–	64770	(योजना का 34.50 प्रतिशत)
अतिरिक्त 3.5 प्रतिशत कन्टनजेंसी व्यय	–	6700	(योजना का 03.50 प्रतिशत)
प्रस्तावित योजना अनुसार कुल व्यय	–	**188554**	

नंदनफलोद्यान योजना का प्रस्तावित आंकलन व्यय प्रति एकड (0.40 हेक्टेयर) तीन वर्षीय योजना

कार्य योजना का नाम ..... क्षेत्रफल..... ग्राम पंचायत का नाम.....
हितग्राही का नाम..... खसरा नंबर.....
चयनित पौधे– अमरूद, नीबू, संतरा, मोसम्बी, ऑवला, आम, सीताफल, बेर, अनार एवं अंतरवर्ती पपीता
पौधों से पोधों की दूरी – 4×4 मीटर, कुल वृक्ष पौध संख्या 0.40 हेक्ट/250 पौाधे अमरूद, नीबू आदि एवं 500 पौधे ताईवानी पपीता
कुल पौध संख्या – 750

क.	कार्य का विवरण	दर (रूपये में)	मात्रा	लागत मजदूरी	लागत सामग्री	लागत कृषक अंश	योग (रूपये में)	रिमार्क
1	**खेत का रेखांकन**	0.20 प्रति र.मी.	3200 र.मी.	384	256		640	
2	**पौध हेतु गड्डा खुदाई–**							
	बडे फलदार वृक्ष हेतु 0.60×0.60×0.60=0.216 मीटर	73.80 प्रति घन मी. 15.94प्रति गड्डा	250 गड्डे	3985	–		3985	
3	**पपीता पौधों हेतु गड्डों की खुदाई** 0.45×0.45×0.45=0.091 मीटर	73.80 प्रति घनमी 6.71 प्रति गड्डा	500 गड्डे	3355	–		3355	
4	**गोबर की खाद 10 किलो प्रति पौधा**	10 रू. प्रति पौधा	250 पौधे	–	2500	2500	2500	पपीता हेतु गोबर की खाद एवं अन्य रासायनिक उर्वरक की व्यवस्था हितग्राही द्वारा स्वयं की जावेगी
5	**सिंगल सुपर फास्फेट**							
	500 ग्रम प्रति पौधा/250 पौधे	6.6 प्रति किलो	125 किलो	–	825	825	825	
6	**म्यूरेट आफ पोटास**							
	250 ग्रम प्रति पौधा/250 पौधे	17.8 प्रति किलो	62.5 किलो	–	1112	1112	1112	
7	**यूरिया**							
	250 ग्रम प्रति पौधा/250 पौधे (टॉप ड्रेसिंग के रूप में सितंबर–अक्टुबर एवं फरवरी–मार्च के माह में वर्ष में 2 बार)	6 प्रति किलो	62.5 किलो	–	375	375	375	
8	**थीमेट, फोरेट**							
	25 ग्रम प्रति पौधा/250 पौधे	59 प्रति किलो	6 किला	–	354		354	

9	**पौधों की कीमत**							
	अमरूद एवं नीबू 3 से 4.5 फिट उंचाई के (परिवहन सहित)	30 प्रति पौधा	300 पौधे	—	9000		9000	
	ब— पपीता पौधे ताईवानी 786 (रेडलेडी)	15	550 पौधे	—	8250	1100	8250	परिवहन हितग्राही द्वारा किया जावेगा
10	**सीमेन्ट पोल/बल्ली इत्यादि की व्यवस्था**	100 प्रति नग	90	—	—	9000		
	सुरक्षा हेतु वायरब्रिड वायर क्रय	80.23	120 किलो	—	9627		9627	सीमेंट पोल, बल्ली इत्यादि की व्यवस्था हितग्राही द्वारा स्वयं अंश से की जावेगी
11	**खाद उर्वरक एवं मिट्टी का मिश्रण बनाना व गड्डा भराई पुनः लेआउट करके, पौध रोपण करना, तत्काल् सिंचाई एवं गेप फीलिंग**	10 प्रति पौधा	250	2500	—		2500	
12	**पपीता पौधों की गड्ढा भराई एवं पौध रोपण**	2 प्रति पौधा	500	1000	—		1000	
13	**पौध संरक्षण दवायें**	5 प्रति पौधा	250	—	1250	2500	1250	पपीता हेतु पौध संरक्षण दवाओं की व्यवस्था हितग्राही द्वारा स्वयं की जावेगी
14	**सिंचाई, निंदाई, गुडाई, दवा छिडकाव, थाला बनाना, मिट्टी चढाना इत्यादि संपूर्ण देखरेख हेतु 90 प्रतिशत जीवित रहने की स्थिति में**	159 प्रति दिन (5 रू प्रतिपौधा प्रतिमाह के हिसाब से, 11 माह तक)	87 श्रमिक पूरे वर्ष में	13750			13750	
15	**पपीता पौधों पर मजदूरी प्रबंधन एवं संपूर्ण देखरेख हेतु 90 प्रतिशत जीवित रहने की स्थिति में**	1.5 रू प्रति पौधा प्रतिमाह 8 माह तक	38 श्रमिक पूरे वर्ष में	6000	—		6000	पौधरोपण के 8 माह बाद हितग्राही को उत्पादन प्राप्त होने लगेगा अतः आगे व्यय हितग्राही द्वारा स्वयं किया जावेगा
16	**रोपण हेतु आवश्यक उपकरण**							
	स्प्रेयर पंप (1पंप 0.5 कि.मी. हेतु)	1250	1	—				
	गेंती	150	1	—				
	फावडा	100	2	—				
	सब्बल	80	1	—				
	तसला	100	2	—				
	सिकेटियर	200	1	—				
17	**द्वितीय वर्ष में कुल व्यय**							
	20 प्रतिशत गैफ फीलिंग	30 प्रति पौधा	50	—	1500		1500	
	परिवहन व्यय पौधे एवं अन्य सामग्री	—	—	—	—		—	पपीता से प्राप्त आय से हितग्राही

	खाद उर्वरक पर व्यय	10 प्रति पौधे	250	—	—	537	—	द्वारा स्वयं अंश से व्यवस्था की जावेगी
	पौध संरक्षण पर व्यय	5 प्रति पौधे	250	—	—		—	
	सिंचाई, निदाई, गुडाई इत्यादि पर संपूर्ण देखरेख सहित मजदूरी व्यय 90 प्रतिशत जीवित रहने की स्थिति में	159 प्रति दिन (5 रू प्रतिपौधा प्रतिमाह के हिसाब से 12 माह तक)	95 श्रमिक पूरे वर्ष में	15000	—		15000	
18	**तृतीय वर्ष में कुल व्यय**							
	10 प्रतिशत गैफ फीलिंग	30 प्रति पौधा	25	—	750		750	
	सिंचाई, निदाई, गुडाई इत्यादि पर संपूर्ण देखरेख सहित मजदूरी व्यय 90 प्रतिशत जीवित रहने की स्थिति में	159 प्रति दिन (5 रू प्रतिपौधा प्रतिमाह के हिसाब से)	95 श्रमिक पूरे वर्ष में	15000	—		15000	
	योग			**60974**	**35799**	**17949**	**96773**	

नोटः— **1.** तैयार कार्ययोजना में लागत सामग्री पर 25 प्रतिशत कृषक अंश शामिल है। उपरोक्त के अलावा फेन्सिग व्यवस्था हेतु सीमेन्ट पोल/बल्ली की व्यवस्था भी हितग्राही द्वारा कृषक अंश से की जावेगी।

2. ताईवानी पपीता लगाने के आठ माह बाद फल देना प्रारंभ कर देता है, लगाये गये 95 प्रतिशत पौधों में फल प्राप्त होते है, जोकि प्रतिपौधा न्यूनतम 50—60 कि. ग्रा. तक 24 माहों के भीतर प्राप्त होते है। जिस कारण हितग्राही को वास्तविक फलन 400 पौधों से ही 10 रू प्रति किलो भाव होने से 1.5 से 2.0 लाख रूपये की आय प्राप्त हो सकती है।

3. प्रारंभ के 6 माहों तक अंतरावर्ती फसल मिर्च, बैगन, प्याज, धनिया इत्यादि से भी हितग्राही द्वारा आय प्राप्त की जा सकती है।

मनरेगा योजनांतर्गत व्यय

मजदूरी पर व्यय	—	60974	(योजना का 60.80 प्रतिशत)
सामग्री पर व्यय	—	35799	(योजना का 35.70 प्रतिशत)
अतिरिक्त 3.5 प्रतिशत कन्टनजेंसी व्यय	—	3500	(योजना का 3.50 प्रतिशत)
प्रस्तावित योजना अनुसार कुल व्यय	—	**100273**	

योजना की कियान्वयन प्रकिया

क्रम बद्ध चरण	गतिविधी	जिम्मेदारी
1.	हितग्राहियों का चयन एवं अनुशंसा	कियान्वयन विभाग
2.	ग्राम सभा का प्रस्ताव एवं एसओपी नंबर	ग्राम पंचायत सरपंच सचिव, जनपद सी ओ, परियोजना अधिकारी मनरेगा, सहायक उद्यानिकी मनरेगा एवं कियान्वयन विभाग
3.	डिटेल प्राजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना	जिला, उद्यान, रेशम एवं उद्यानिकी सहायक मनरेगा
4.	तकनीकी स्वीकृति जारी करना	जिला उद्यान/रेशम/वन अधिकारी
5.	प्रशासकीय स्वीकृति जारी करना	परियोजना अधिकारी मनरेगा, सहायक संचालक मनरेगा एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा जिला कार्यक्रम समन्वयक से जारी करायी जावेगी
6.	डीपीआर फ्रीजिंग कराना	सीनियर डाटा मैनेजर, परियोजना अधिकारी मनरेगा एवं जिला उद्यान, रेशम, वन अधिकारी
7.	जॉबकार्डधारियों/हितग्राहियों से कार्य की मॉग लेना	रोजगार सहायक/मेट के माध्यम से फील्ड अधिकारी द्वारा
8.	मस्टर रोल इशु करना एवं कार्य प्रारंभ कराना	जिला उद्यान, रेशम, वन अधिकारी
9.	डीपीआर अनुसार सामग्री क्रय करना	जिला उद्यान, रेशम, वन अधिकारी
10.	मूल्यांकन एवं सत्यापन	कियान्वयन विभाग
11.	भुगतान	कियान्वयन विभाग
12.	समस्त प्रबंधन कार्य	कियान्वयन विभाग
	कार्य पूर्ण होने पर कार्य पूर्णतः प्रमाण पत्र जारी करना	जिला उद्यान, रेशम, वन अधिकारी

नोटः– कियान्वयन एजेन्सी, जिला उद्यान, रेशम, वन अधिकारी को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत की भांति पी.ओ. लॉग इन अधिकार प्राप्त होंगे, जिससे वह सीधे पासवर्ड के माध्यम से राज्य स्तर पर स्थित बैंक खाते से मजदूरों व सामग्री प्रदाय कर्ता(बेन्डर) के खाते में राशि हस्तांतरित करेंगे।

''नंदन फलोधान उपयोजना'' के अंतर्गत फलोधान वृक्षारोपण हेतु प्रस्ताव का प्रारूप

प्रति,

उप/सहायक संचालक उद्यान
जिला .....

विषयः राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – म.प्र. के अंतर्गत ''नंदन फलोधान'' उपयोजना हेतु प्रस्ताव।

मैं नंदन फलोधान उपयोजना के अंतर्गत अपनी निजी भूमि पर उद्यानिकी प्रजाति का वृक्षारोपण कर फलोद्यान विकसित करवाना चाहता हूँ। मेरी भूमि के खसरा के प्रति/भू–अभिलेख ऋण पुस्तिका भाग – 1 अथवा खसरा की प्रतिलिपि संलग्न है। अन्य आवश्यक विवरण निम्नानुसार है :–

1. हितग्राही का नाम : .....
2. पिता/पति का नाम : .....
3. ग्राम : .....
4. वर्ग SC/ST/BPL/IAY/ रू .....
   भूमि सुधार हितग्राही/लघु कृषक/सीमांत कृषक/वनवासी पटटेधारी
   (प्रमाणीकरण की छायाप्रति संलग्न करें)
5. बी पी एल क्रमांक रू .....
6. धारित कुल भूमि का रकबा : .....हैक्टेयर
7. प्रस्तावित भूमि का रकबा : .....हैक्टेयर
   जिस पर फलोधान विकसित
   किया जावेगा।
8. खसरा नंबर : .....जिसमें उक्त फलोधान
   विकास का कार्य प्रस्तावित है।
9. भूमि का प्रकार हल्की/मध्यम/भारी रू .....
   (चयनित भूमि में पानी का निकास उत्तम है हॉ/नहीं)
10. प्रस्तावित प्रजातियों का विवरण व संख्या .....
11. हितग्राही के पास उपलब्ध सिंचाई स्त्रोत.....
12. सिंचाई स्त्रोत से चयनित स्थल की दूरी .....
13. सिंचाई स्त्रोत पर पंप की उपलब्धता विद्युत/डीजल/जनरेटरसैट .....
14. सिंचाई स्त्रोत में पानी की वर्षभर उपलब्धता हॉ/नहीं .....
15. हितग्राही/कार्य एजेन्सी के साथ निष्पादित अनुबंध की प्रति संलग्न – हॉ/नहीं.....

हितग्राही के हस्ताक्षर व नाम

// शपथ पत्र //

मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि, नंदनफलोद्यान उपयोजना के तहत निष्पादित अनुबंध अनुसार सभी शर्तों का पालन करते हुए लगाये गये सभी पौधों की देखभाल व सुरक्षा करते हुए 90 प्रतिशत पौधे जीवित रखूँगा, एवं जानबूझकर लगाये गये पौधों को नष्ट नहीं करूँगा यदि मै जानबूझकर लगाये गये पौधों को हानि पहुँचाता हूँ तो शासन को मेरी चल/अचल सम्पत्ति से हानि की राशि वसूली करने का अधिकार होगा।

हितग्राही का नाम व हस्ताक्षर

अनुलग्नक–3

कार्यालय ग्राम पंचायत..... जनपद..... जिला.....

ग्राम सभा का प्रस्ताव

दिनॉक.....को आयोजित ग्राम सभा में ग्राम पंचायत में निवास करने वाले निम्नानुसार हितग्राहियों के आवेदन उद्यान विभाग के माध्यम से नवीन बागान स्थापना नंदन फलोद्यान हेतु प्रस्तुत किये गये।

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....

उक्त हितग्राहियों के निजी भूमि पर फलो के पौधे लगाये जाने पर उनकी स्थायी आय के स्रोत बनेगे, पंचायत क्षेत्र का पर्यावरण संरक्षण होगा, साथ ही जॉबकार्ड धारियों को रोजगार प्राप्त हो सकेगा। उक्त प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की जाती है, एवं ग्राम पंचायत के सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट में जोड़े जाने का निर्णय लिया जाता है। हितग्राहीवार क्रमशः एसओपी नंबर 1..... 2.....3..... 4.....5.....है।

उपरोक्तानुसार उक्त प्रस्ताव ग्राम सभा में सर्वसम्मति से पारित करते हुये कार्य एजेन्सी को डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट अनुसार तकनीकी स्वीकृति प्रदाय करने एवं कार्य प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

रोजगार सहायक	सचिव	सरपंच
ग्राम पंचायत	ग्राम पंचायत	ग्राम पंचायत .....

अनुलग्नक–4

तकनीकी प्रतिवेदन

1	हितग्राही का नाम	
2	कार्य का नाम	नंदन फलोद्यान
3	ग्रम का नाम	
4	ग्राम पंचायत का नाम	
5	क्रियान्वयन एजेन्सी	
6	स्वीकृति का वर्ष	
7	मद	एन.आर.ई.जी.एस.
8	अनुमानित लागत	
9	तकनीकी अधिकार	उप/सहायक संचालक उद्यान
10	प्रशासकीय अधिकार	जिला कार्यक्रम समन्वयक
11	दर	जिला दर निर्धारण समीति/एमपीएग्रा /एलयूएन/विभाग द्वारा स्वीकृत दरें एवं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा की एसओआर दरें
12	आवश्यक्ता	नंदनफलोद्यान विकसित कर पर्यावरण संरक्षण, हितग्राही की आय में वृद्वि एवं जॉबकार्डधारियों को रोजगार उपलब्ध कराना।
13	निरीक्षण प्रतिवेदन	अनुक्रलग्नक 4 संलग्न है।

वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी
जनपद– .....

उप/सहायक संचालक (उद्यान)
जिला – .....

अनुलग्नक–5

कार्यालय उप/सहायक संचालक उद्यान जिला.....

हितग्राही का नाम – ..... जनपद का नाम – .....

प्रस्तावित कार्य का नाम – ..... जॉबकार्ड का नंबर– .....

ग्राम पंचायत का नाम –..... हितग्राही का खाता क्रमांक.....

प्रमाणीकरण

1. कार्य पूर्णतः नवीन है।
2. प्रस्तावित कार्य पूर्णतः हितग्राही मूलक एवं जनहित में आवश्यक है।
3. प्रस्तावित कार्य पूर्णतः निजी जमीन पर प्रस्तावित है।
4. प्रस्तावित कार्य ग्राम पंचायत के प्रोस्पेक्टिव प्लान एसओपी में शामिल है, जिसका एसओपी नंबर.....है।
5. प्रस्तावित कार्य राष्ट्रीय गारण्टी योजना में निहित दिशा निर्देशों के तहत संपादित कराया जावेगा एवं मध्य प्रदेश भंडार क्रय नियमों का पालन किया जावेगा।
6. कार्य एजेन्सी प्रमाणित करती है कि, हितग्राही के पास उपलब्ध भू ऋण पुस्तिका के आधार पर कुल रकवा ..... हे. भू स्वामित्व है साथ ही स्वयं का सिंचाई साधन कूप /ट्यूबेल उपलब्ध है एवं हितग्रही प्रस्तावित योजना में पात्रता रखता है तकनीकी स्वीकृति प्रदाय हेतु प्रमाण पत्र लेख किया गया है।
7. कार्य एजेन्सी द्वारा पटवारी से हितग्राही मूलक के भूस्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रमाणित करा लिये गये है।

उपरोक्त वर्णित बिन्दु प्रस्तावित कार्य हेतु पूर्णतः जॉच परख लिये है एवं सत्य है व अनुबंध अनुसार सभी शर्तो का पालन करने को हितग्राही एवं कार्य एजेन्सी सहमत हैं।

उपरोक्त बिन्दुओं की जानकारी भ्रामक एवं असत्य होने पर में श्री ..... ग्रामीण उद्यान विकास अधिकारी एवं श्री..... सचिव ग्राम पंचायत व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगें।

ग्रामीण उद्यान विकास अधिकारी
क्षेत्र का नाम–.....

वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी
जनपद– .....

उप/सहायक संचालक (उद्यान)
जिला – .....

अनुलग्नक – 6

आयोजना के विभिन्न घटको ं के निर्धारण व आकलन के आधार पर सहयोग दल द्वारा की जाने वाली अनुशंसा के प्रपत्र का प्रारूप

प्रति,

उप/सहायक संचालक उद्यान जिला– .....

विषय – ''नंदन फलोधान'' उपयोजना के अंतर्गत हितग्राही द्वारा प्रस्तुत आवेदन के अनुक्रम में आयोजना के विभिन्न घटकों के निर्धारण व आकलन की अनुशंसा।

नंदन फलोधान उपयोजना के अंतर्गत हितग्राहियों द्वारा प्रस्तुंत प्रस्ताव का परीक्षण हितग्राही के साथ दिनांक..... को क्षेत्र भ्रमण कर लिया गया। इस परीक्षण के आधार पर निम्नानुसार उल्लेखित हितग्राही हेतु नंदन फलोद्यान उपयोजना का कार्य लिये जाने के लिए आयोजना के विभिन्न घटकों के निर्धारण की निम्नानुसार अनुशंसा की जाती है।

गतिविधि का स्वरूप – एकल गतिविधि /सामूहिक गतिविधि (जो उपयुक्त हो उसे सही करे)

क.	भू स्वामी हितग्राही/हितग्राहियों के नाम तथा पिता/पति का नाम	ग्राम एवं ग्राम पंचायत का नाम	हितग्राही के पास उपलब्ध कुल भूमि खसरा नंबर/ हेक्टेयर	नंदन फलोधान हेतु निर्धारित भूमि का खसरा नं/हेक्टेयर	फलोद्यान हेतु निर्धारित भूमि का वर्तमान भूमि उपयोग (कृषि/अन्य/पडत)	क्या यह निर्धारित भूमि फलोधान वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त है। (हॉ/नहीं)	निर्धारित वृक्षारोपण पद्धति	ली जाने वाली प्रजातिया	ली जाने वाली प्रजातियों की पौधावार संख्या	ली जाने वाली अंतरवर्तीय फसले	हितग्राही के पास उपलब्ध सिंचाई स्त्रोत व सुविधा	उपलब्ध सिंचाई स्त्रोत से क्या प्रस्तावित फलोधान की पर्याप्त सिचाई हो सकेगी (हां/नहीं)

उपरोक्तानुसार चयनित भूमि पर्याप्त जल निकास वाली व नंदनफलोद्यान हेतु उपयुक्त है अतः प्रकरण स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

पटवारी का पूरा नाम व हस्ताक्षर
दिनांक .....

(ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी)
पूरा नाम, पदनाम व हस्ताक्षर
दिनांक .....

(वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी)
पूरा नाम, पदनाम व हस्ताक्षर
दिनांक .....

अनुलग्नक–7

प्रमाण पत्र

(लघु एवं सीमान्त कृषकों हेतु 10 रू. के शपथ पत्र पर)

मैं ..... पिता.श्री..... ग्रम.....का निवासी हूॅ। शपथ पूर्वक कथन करता हूॅ कि मेरे पास भारत में स्थित सभी स्थलों पर मिलाकर खसरा नंबर .... रकवा.....अनुसार कुल रकवा..... .....हेक्ट. भूमि स्वामित्व में है।

मै शपथ पूर्वक कथन करता हूॅ कि, मेरे पास सभी स्थलों पर मिलाकर जो भी भूमि स्वामित्व में है उस आधार पर मै लघु/सीमान्त कृषकों की श्रेणी में आता हूॅ।

हस्ताक्षर

हितग्राही का नाम.....

सत्यापन –

सत्यापित किया जाता है कि, कृषक श्री..... पिता.श्री.....निवासी... ..... ग्रम..... के पास खसरा नंबर ..... कुल रकवा..... हेक्ट. भूमि का भू स्वामित्व रखते है एवं राजस्व रिकार्ड अनुसार लघु/सीमान्त कृषक की श्रेणी में आते है।

हस्ताक्षर

पटवारी.....

हल्का नंबर.....